



प्रेस नोट – थाना समथर जनपद झाँसी

दिनांक 14.03.2025

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झाँसी श्रीमती सुधा सिंह व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय श्री गोपीनाथ सोनी के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोठ श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 06.03.25 को पंजीकृत मु0अ0स0 38/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये मुखविर की सूचना पर आज दिनांक 14.03.2025 को समय करीब रात्रि 00.45 बजे ग्राम अम्बाबाय थाना सीपरी बाजार से अभियुक्त गण 1.नफीस पुत्र रहीश खाँ निवासी मोहल्ला ओरक्षा गेट बाहर कसाई मण्डी थाना कोतवाली जिला झाँसी उम्र करीब 25 वर्ष 2.शोभाराम पुत्र जाहर सिंह पाल उम्र करीब 50 वर्ष 3. लखन उर्फ लखवू पुत्र बिल्ले पाल उम्र करीब 70 वर्ष 4. दयाराम पुत्र बंसतेपाल उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम अम्बाबाय थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक अदद लोडर (आपे) न0 UP 93 CT 0513 व चोरी की हुयी 24 अदद भेड (2 सफेद, 1 काली, 21 काली व सफेद) बरामद हुयी। लोडर (आपे) उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 207 एम.वी.एक्ट में सीज किया गया। बरादमगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

- 1.श्री अनुज सिंह गंगवार थानाध्यक्ष समथर जनपद झाँसी
- 2.उ०नि० श्री सुभाष चन्द्र थाना समथर झाँसी
- 3.उ०नि० श्री जय कुमार थाना समथर झाँसी
- 4.का० 1902 लोकेन्द्र सिंह थाना समथर झाँसी
- 5.का० 650 अमरदीप थाना समथर झाँसी
- 6.का० 1348 पीयूष राव थाना समथर झाँसी
- 7.का० 1411 नीरज कुमार थाना समथर झाँसी

